LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI REVISED LIST OF BUSINESS

Friday, 08 June 2018 / 18 Jyeshtha 1940 (Saka)

2.00 PM

1. **Question Hour:** Starred Questions as shown in the separate list to be asked and replies given.

2. **Special Mention(Rule-280):**

The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

1. Sh. Vishesh Ravi

2. Sh. Akhilesh Pati Tripathi

3. Sh. S.K. Bagga

4. Sh. Naresh Yadav

5. Sh. Jarnail Singh

6. Sh. Prakash

7. Sh. Manjinder Singh Sirsa

8. Sh. Praveen Kumar

9. Sh. Sandeep Kumar

10. Sh. Rajesh Gupta

3. Papers to be laid on the Table :

Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Power to lay copies of the following on the Table of the House:

- **I.** Annual Report of Delhi Electricity Regulatory Commission for the year 2014-15 (English & Hindi).
- II. Notification No. F. 8/Misc/2012/HP-II/6985-96 dated 25 August 2017 regarding 'The Delhi Poisons Possession and Sale Rules, 2015' (English).

4. Discussion on Government Resolution (Rule-90) continued:

Discussion to continue on the following Government Resolution moved by **Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** on 06 June 2018:

'Keeping in view the aspirations of the people of Delhi for a better quality of life commensurate with their contribution to the economy;

Also keeping in view the fact that the multiplicity of agencies have created obstacles in the all round development and progress of Delhi as a world class city;

Observing with concern that vested interests with no accountability have manipulated and corrupted the existing system of governance which was guaranteed by the Constitution for the people of Delhi;

Also noting that all the major political parties have supported the idea of full statehood to Delhi in their respective manifestoes;

This House resolves that the National Capital Territory of Delhi should be granted full statehood immediately."

Delhi 08 June 2018 C. Velmurugan Secretary

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधित कार्यसूची शुक्रवार, 08 जून, 2018 / ज्येष्ठ 18, 1940 (शक्) 2.00 बजे अपराह्न

- 1. **प्रश्न कालः** सदस्यों द्वारा पृथक् सूची में दिये गये तारांकित प्रश्न पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे।
- 2. विशेष उल्लेख (नियम—280) : निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमित से नियम—280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे:—
 - 1. श्री विशेष रवि
 - 2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
 - 3. श्री एस.के.बग्गा
 - श्री नरेश यादव
 - 5. श्री जरनैल सिंह
 - 6. श्री प्रकाश
 - 7. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
 - श्री प्रवीण कुमार
 - 9. श्री संदीप कुमार
 - 10. श्री राजेश गुप्ता
- 3. सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागजातः
 - श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय उर्जा मंत्री निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगेः
 - क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का वर्ष 2014–15 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी–अंग्रेजी प्रतियां)
 - ख) ''दिल्ली विष धारण एवं बिक्री नियम, 2015'' से संबंधित अधिसूचना संख्या एफ.8 / मिस. / 2012 / एच.पी—।। / 6985—96 दिनांक 25 अगस्त, 2017 (अंग्रेजी प्रति)
- 4. सरकारी संकल्प (नियम–90) पर चर्चा जारी : श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 06 जून, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा होगी:
 - " बेहतर जीवन—गुणवत्ता के लिए दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं के दृष्टिगत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के अनुरूप;

इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि निकायों की बहुलता ने विश्व-स्तरीय शहर के रूप में दिल्ली के चहुँमुखी विकास तथा प्रगति में बाधा पहुँचाई है;

यह चिंताजनक रूप से अवलोकन करते हुए कि उत्तरदायित्व–विहीन निहित स्वार्थों ने शासन की उस विद्यमान व्यवस्था को छल–योजित और विकृत किया है, जिसे दिल्ली के लोगों के लिए संविधान द्वारा संरक्षित किया गया था;

यह भी ध्यान देते हुए कि दिल्ली के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के विचार का समर्थन किया है:

यह सदन संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को तत्काल पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये।"

दिल्ली 08 जून, 2018 सी. वेलमुरूगन